महात्मा गांधी
प्रवासी सुरक्षा योजना

प्रवासी भारतीय कामगारों के लिए मार्गदर्शिका

© 2012 , प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय

महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना (MGPSY) क्या है?

यह योजना ECR देशों के लिए प्रवासी भारतीय कामगारों हेतु प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय (MOIA) की एक एकीकृत सामाजिक सुरक्षा योजना है। जब आप विदेश में काम करते हैं तो यह योजना आपको प्राकृतिक और दुर्घटनावश मृत्यु या स्थाई अपंगता की स्थिति में बीमा रक्षा प्रदान करती है और साथ ही आपके पुनर्वास व वृद्धावस्था में आपकी पेंशन के लिए नियमित बचत करती है।

आपको अपनी पेंशन एवं पुनर्वास के लिए प्रोत्साहित करने और सहयोग करने हेतु MOIA भी सह–योगदान देता है और साथ ही बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के बीमा सुरक्षा भी प्रदान करता है।

MGPSY

पेंशन योजना (NPS Lite-PFRDA)

प्रतिफल और पुनर्वास खाता (UTI)

बीमा (LIC)

MGPSY से आपको कौन–कौन से लाभ हैं?

MGPSY के तहत पंजीकृत सदस्य को 3 महत्वपूर्ण लाभ मिलेंगे:

1. PFRDA द्वारा विनियमित NPS-लाइट द्वारा वृद्धावस्था पेंशन सुरक्षा,
2. SEBI विनियमित म्युच्युअल फंड (UTI मासिक आय योजना) द्वारा "वापसी और पुनर्वास (R&R) योजना" के रूप में अल्पकालिक बचत,
3. IRDA विनियमित जीवन बीमा कंपनी द्वारा प्राकृतिक और दुर्घटनावश मृत्यु या स्थाई अपंगता की स्थिति में बीमा रक्षा।

NPS Lite
Aapki Pension Aapke Haath

uti
UTI Mutual Fund

LIC

MGPSY में कौन शामिल हो सकता है?

व्यक्ति जिसकी आयु 18 से 50 वर्षों के बीच हो और जिसके पास ECR देश में ECR पासपोर्ट व एक वैध कार्य परमिट या रोजगार अनुबंध हो वह इस योजना में शामिल हो सकता है।

MGPSY के सदस्य के लिए सरकार कितना योगदान देगी?

सरकार MGPSY योजना के अंतर्गत पांच वर्ष की अवधि के लिए या कामगारों के वापस भारत आने तक जो भी पहले हो सह–योगदान करेगी। सरकार का सह–योगदान सदस्यों को MGPSY में बचत करने के लिए प्रोत्साहित करने और MGPSY योजना भागीदार द्वारा MGPSY के अंतर्गत लगाए गए रखरखाव शुल्क देने हेतु होता है। MGPSY के अंतर्गत सह योगदान निम्न हैः

a. उन सभी MGPSY सदस्यों के लिए स्वावलंबन योजना में प्रतिवर्ष ₹1,000 का सह–योगदान जो, NPS-लाइट में प्रति वित्तीय वर्ष में ₹1,000 से ₹12,000 तक की बचत करते हैं;

b. प्रवासी भारतीय महिला कामगारों के लिए MOIA द्वारा ₹1,000 का अतिरिक्त सह–योगदान, जो NPS-लाइट में प्रति वित्तीय वर्ष में ₹1,000 से ₹1,2000 तक की बचत करती हैं,

c. MOIA द्वारा प्रवासी भारतीय कामगारों के लिए वापसी और पुनर्वास हेतु ₹900 का एक विशेष वापसी और पुनर्वास सह–योगदान जो प्रति वर्ष वापसी और पुनर्वास के लिए ₹4,000 प्रतिवर्ष बचत करते हैं। और

d. जीवन बीमा कवर MOIA की तरफ से मुफ़्त है।

MGPSY में शामिल होने की प्रक्रिया क्या है?

MGPSY के तहत नामांकन करने के लिए सदस्य

- आपके शहर में संचालित किसी भी MGPSY नियुक्त सेवा प्रदाता से संपर्क कर सकते हैं।
- आप भारत में POE कार्यालयों और ECR देशों में भारतीय मिशन कार्यालयों पर MGPSY नियुक्त सेवा प्रदाता द्वारा स्थापित किए गए किसी विशेष नामांकन काउंटर पर MGPSY खाता भी खोल सकते हैं।

आपको बताए गए एकीकृत MGPSY आवेदन पत्रों को भरना होगा और पासपोर्ट की एक प्रति अपने 3 पासपोर्ट आकार के फोटो के साथ देनी होंगी।

इस योजना में शामिल होने के लिए आपका एक वैध बैंक खाता होना चाहिए। यदि आपका वैध बैंक खाता नहीं है तो आप अपने शहर में संचालित किसी भी MGPSY नियुक्त सेवा प्रदाता की मदद ले सकते हैं या किसी भी निकटस्थ बैंक में जाकर बैंक खाता खोल सकते हैं। जो सदस्य पहले से ही बाहर के देशों में काम कर रहे हैं उन्हें भारत में अनिवासी बाहरी व्यक्ति (NRE)/ अनिवासी सामान्य व्यक्ति (NRO) बैंक खाता खोलना आवश्यक है।

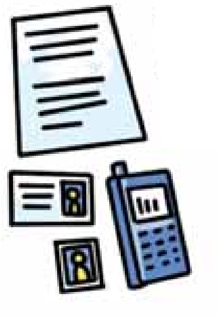

KYC क्या है?

KYC का अर्थ है अपने ग्राहक को जानें। MGPSY सदस्य की पहचान करने के लिए KYC आवश्यक है। इसका अर्थ है कि MGPSY सदस्य की पहचान करना और स्वतंत्र स्रोत दस्तावेजों, डेटा या जानकारी का उपयोग कर उसकी पहचान को सत्यापित करना। MGPSY में, सेवा प्रदाता पहचान डेटा को ग्राहक, उसके पते/स्थान और उसके वर्तमान फोटो की पहचान को सत्यापित करने के लिए प्राप्त करेगा।

यदि सदस्य के उस पते में कोई अंतर नहीं है, जो MGPSY पत्र और पासपोर्ट में उल्लेखित है तो MGPSY के लिए केवल पासपोर्ट दस्तावेज़ ही KYC आवश्यकता के लिए उपलब्ध होता है।

MGPSY के लिए मुझे बैंक खाते की आवश्यकता क्यों है?

आपकी MGPSY बचतें नकद में एकत्र नहीं की जा सकती। जैसे ही आप MGPSY में शामिल होते हैं, आपको अपने बैंक को एक सामान्य निर्देश देना होता है। आपके निर्देश के आधार पर आपका बैंक आपके बैंक खाते में से एक नियत राशि लेता है और उसे उन संस्थाओं को भेज देता है जो आपकी वृद्धावस्था पेंशन और R&R बचतों को प्रबंधित करेंगी। आपको केवल यह सुनिश्चित करना है कि आपने अपने बैंक खाते में आवश्यक धनराशि जमा कर दी है।

MGPSY में मुझे किस प्रकार के बैंक खाते की आवश्यकता है?

MGPSY योजना बाहरी देशों में काम कर रहे सदस्यों के लिए खोली गई है। इसलिए सदस्य के पास MGPSY में योगदान करने के लिए एक NRE/NRO खाता होना आवश्यक है। यदि आप भारत में इस योजना में बचत खाते के साथ शामिल हो रहे हैं तो आपका सेवा प्रदाता इसमें आपकी सहायता कर सकता है।

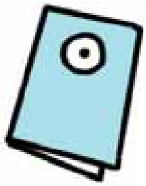

NRE/NRO खाते का क्या अर्थ है?

NRE (नॉन रेजीडेंट एक्सटर्नल/अनिवासी बाहरी व्यक्ति) बैंक खाता एक मुद्रा खाता होता है, जिसके माध्यम से पैसा आपके निवासी देश को वापस भेजा जा सकता है। खाता विदेशी या स्थानीय कोष के पैसे से खोला जा सकता है। जबकि एक NRO (नॉन रेजीडेंट ऑर्डिनरी/अनिवासी साधारण) खाता एक गैर–प्रत्यावर्तनीय मुद्रा खाता होता है जहां से पैसा निवासी देश को वापस नहीं भेजा जा सकता है (इसका अर्थ है कि आप इस खाते में केवल विदेश से पैसा भेज सकते हैं और एक बार यह पैसा भारत में आ जाता है तो आप इसे उस देश में वापस नहीं भेज सकते जहाँ आप रहते हैं)।

NRI (अनिवासी भारतीय) दो प्रकार से खाता खोल सकते हैं यदि वे पैसा हस्तांतरण करना, सावधि जमा खाता खोलना, या म्यूचुअल फंड खरीदना, और भारतीय स्टॉक में पैसा लगाना चाहते हैं।

MGPSY में योगदान कैसे करें?

भारत में पहली बार MGPSY योजनाओं– NPS Lite और R&R में योगदान चैक के माध्यम से किया गया था। इसके बाद NPS Lite और R&R में अनुवर्ती योगदान का स्थान स्टैंडिंग निर्देश (SI)/इलैक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (ECS) निर्देश ने आपके खाते से सीधे डेबिट करने के माध्यम से ले लिया। ग्राहक के खाते से MGPSY योजना खाते में पैसा हस्तांतरण करने की सुविधा के लिए, ग्राहक को SI/ECS निर्देश भर कर नामांकन के समय MOIA नियुक्त सेवा प्रदाता के पास जमा करना होता है।

नामिनी (नामित) व्यक्ति कौन होता है?

MGPSY ग्राहक किसी ऐसे व्यक्ति(यों) को नामित व्यक्ति घोषित कर सकता है जिसे MGPSY साझेदार योजना के तहत ग्राहक की मृत्यु होने पर पैसा हस्तांतरण कर दिया जाएगा। नामित व्यक्ति आपका साथी या बच्चे हो सकते हैं। ग्राहक के लिए यह आवश्यक होता है कि नामित व्यक्ति का पूरा विवरण अपने MGPSY आवेदन फ़ॉर्म में दें।

मेरा टेलीफ़ोन नंबर देना क्यों ज़रूरी होता है?

MGPSY सहायता केंद्र को आपको कॉल करने/SMS भेजने के लिए आपके नंबर की आवश्यकता हो सकती है ताकि आपको समय–समय पर MGPSY में आपकी बचत के संबंध में जानकारी दी जा सके या यदि किसी स्थिति में आपका फॉर्म अस्वीकार हो जाता है या इस बात की पुष्टि करने के लिए कि आपने कोई अनुरोध किया है, आपके टेलीफ़ोन नंबर की जरूरत हो सकती है। आपके लिए यह बेहतर होगा कि आप भारत में अपने साथी या परिवार के सदस्य का टेलीफ़ोन नंबर दें। आपके परिवार के सदस्य संबंधित जानकारी आप तक पहुँचा सकते हैं।

मुझे कैसे पता चलेगा कि मैने MGPSY में कितना संचित किया है?

MGPSY में ग्राहक दो तरह से निवेश कर सकता है। वापसी और पुनर्वास योजना और पेंशन के तहत निवेश के लिए, ग्राहक को UTI और NSDL सैंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी (CRA) की ओर से एक स्टेटमेंट प्राप्त होगी। इसमें बताया जाएगा कि आपने पिछले वर्ष में कितनी बचत की है और उस तिथि तक आपकी कुल बचत को दिखाया जाएगा।

NPS-Lite क्या है और मुझे सरकार की ओर से क्या लाभ मिलेगा?

NPS-Lite राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत आने वाली एक विशेष योजना है। इस योजना को भारतीय सरकार द्वारा लोगों को अपने बुढापे में मदद के लिए बचत करने हेतु शुरू किया गया था। आपकी बुढापे के लिए की गई बचत को विश्वसनीय सार्वजनिक क्षेत्र पेंशन फंड द्वारा प्रबंधित किया जाएगा।

ग्राहकों को एक वित्तिय वर्ष में ₹1,000 से ₹12,000 तक का योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। MOIA की ओर से पुरुष कामगार के लिए प्रति वर्ष ₹1,000 और महिला कामगार के लिए ₹2,000 का सह–योगदान पांच वर्ष तक या ग्राहक के भारत वापसी पर (दोनों में से जो पहले हो) दिया जाएगा ।

UTI द्वारा वापसी और पुनर्वास (R&R) के लिए कौन से बचत लाभ प्रदान किए जाते हैं?

आपकी R&R बचत को UTI संपत्ति प्रबंधन कंपनी लि. (UTI AMC) द्वारा प्रबंधित किया जाएगा। MOIA ग्राहक के योगदान का 25% या ₹1,000 (दोनों में से जो कम हो) का सह–योगदान इस प्रकार के सभी खातों के लिए 5 वर्ष तक या सदस्य की भारत वापसी (दोनों में से जो पहले हो) तक करेगा।

LIC द्वारा किस प्रकार का बीमा लाभ दिया जाता है?

प्रत्येक व्यक्ति जो MGPSY में शामिल होता है उसे MOIA की ओर से निःशुल्क बीमा रक्षा प्रदान की जाएगी। यह जीवन बीमा लाइफ़ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) द्वारा जनश्री बीमा योजना (JYB) के तहत प्रदान किया जाएगा।

MGPSY ग्राहक की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो जाने पर या साधारण स्थिति में मृत्यु होने पर ₹30,000 और दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाने पर ₹75, 000 की राशि LIC की ओर से ग्राहक के परिवार को दी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति दुर्घटना की वजह से स्थाई रूप से विकलांग हो जाता है, तो उसे संपूर्ण विकलांगता की स्थिति में ₹75, 000 और आंशिक विकलांगता की स्थिति में ₹37, 500 का भुगतान किया जाएगा। यह जीवन बीमा LIC के नियमों के तहत प्रदान किया जाएगा। आपकी ओर से प्रीमियम का भुगतान MOIA द्वारा किया जाएगा।

मेरी MGPSY बचत में वृद्धि कैसे होगी?

आपकी बचत MOIA द्वारा नियुक्त वित्तीय संस्था द्वारा प्रबंधित की जाएगी। यह संस्थाएँ आपकी बचत को आपकी ओर से शासकीय बांड में निवेश करेंगी और आपकी बचत का छोटा भाग बड़ी कंपनियों के शेयरों में निवेश किया जाएगा। यह कार्य पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के नियमों अनुसार किया जाएगा। इन दोनो एजेंसियों को भारत सरकार द्वारा आपके हितों और अधिकारों की रक्षा के लिए स्थापित किया गया है।

क्या मुझे अपनी बचत पर कोई गारंटी या निश्चित प्रतिफल मिलेगा?

नहीं। NPS Lite और UTI MIS में आपकी बचत में जिस दर से वृद्धि होगी वह निश्चित या गारंटी युक्त नहीं है। योजना के तहत प्रतिफल बाज़ार पर निर्भर करता है।

मेरी पेंशन या पुनर्वास राशि क्या हो सकती है?

आपकी पेंशन और पुनर्वास राशि –
(1) आपने कितना और किस आयु से बचाया है
(2) आपकी बचत पर NPS-Lite और UTI द्वारा अर्जित किया गया प्रतिफल
(3) आपको दिये गये सह–योगदान लाभ पर निर्भर करेगा

यदि मैं एक महीने या कुछ अधिक महीने तक बचत करने में असमर्थ हूँ , तो मेरे MGPSY बचत का क्या होगा?

आपके MGPSY राशि में संचित बचत राशि आपके स्वयं के नाम से NPS-Lite और UTI में सुरक्षित जमा रहेगी। यदि आप अपने वृद्ध आयु और अपने पुनर्वास के लिए पर्याप्त धन संग्रहित करना चाहते हैं, तो आपको नियमित रूप से बचत करना चाहिए।

यदि मैं किसी महीने में बचत करने में असमर्थ हो जाता हूँ, तो क्या मुझे कोई अर्थदंड देना पड़ेगा?

नहीं, MOIA द्वारा कोई अर्थदंड नहीं है। हालांकि, अपर्याप्त शेष राशि के कारण चेक/ECS बाउंस/फेल होने की स्थिति में बैक अर्थदंड लगा सकती है। उपभोक्ता को इस प्रकार की किसी अन्य स्थिति से बचने के लिए अपेक्षित राशि बनाए रखना चाहिए।

मैं अपने R&R बचत राशि को किस प्रकार निकाल सकता हूँ?

भारत लौटने पर या MGPSY में जुड़ने के 5 वर्षों के बाद – जो भी पहले हो, आपको अपना R&R बचत राशि निकालने की अनुमति होगी।

मैं अपनी NPS Lite बचत राशि को किस प्रकार निकाल सकता/सकती हूँ?

जब आप 60 वर्ष के हो जाएंगे, तव आप अपने NPS Lite खाते से पेंशन प्राप्त करना शुरु कर सकते हैं। PFRDA की निकास नीति लागू होगी।

पुनर्वास के दावे की क्या प्रक्रिया है?

बीमित व्यक्ति (विकलांग की स्थिति में)/नामित व्यक्ति को बीमा के दावे के लिए MGPSY सेवा प्रदाता कार्यालय में आवश्यक दस्तावेजों के साथ क्लेम सेटेलमेन्ट फार्म प्रस्तुत करने की जरूरत पड़ती है। इसके बाद नोडल एजेंसी (MOIA) द्वारा आगे की प्रक्रिया के लिए फार्म को दावे के निपटारे के लिए LIC को भेज दिया जाएगा।

क्या मुझे किसी संस्था को कोई शुल्क भुगतान करना पड़ता है?

आपके निवेश से सभी आवश्यक शुल्क काट लिए जाएँगे। आपको पहले किसी भी राशि का भुगतान नहीं करना होगा।

NPS Lite, R&R और JBY योजना में उपभोक्ता के निर्वाह के लिए कोई शुल्क है?

हाँ, MGPSY की सभी योजनाओ में खाता खोलने और उसके निर्वाह के लिए शुल्क हैं। उपभोक्ता शुल्क उपभोक्ता की बचत से प्राप्त कर लिया जाएगा। हालांकि, उपभोक्ता को समर्थन देने के लिए इस प्रकार के सभी शुल्कों को सह–योगदान के माध्यम से MOIA द्वारा लिया जाएगा। LIC-JBY योजना के लिए सदस्यता शुल्क MOIA द्वारा वहन किया जाएगा।

JBY योजना के अंतर्गत, मेरा नामित व्यक्ति मेरी मृत्यु के पश्चात कितना धन प्राप्त करेगा?

किसी सदस्य की मृत्यु के बाद, नामित व्यक्ति को ₹30,000 की राशि देय होगी।

किसी दुर्घटनात्मक मृत्यु की स्थिति में बीमा राशि क्या है?

दुर्घटनात्मक मृत्यु की स्थिति में बीमा राशि ₹75,000 है।

शारीरिक अपंगता से होने वाली दुर्घटना के कारण यदि किसी जीवन बीमा के दावे का निपटान किया जाता है, तो क्या नामित व्यक्ति उपभोक्ता की प्राकृतिक मृत्यु के पश्चात बीमा राशि का दावा कर सकता है?

यदि स्थायी रूप से विकलांगता की स्थिती में ₹75,000 का दावा सदस्य द्वारा ले लिया गया हो, तो इस स्थिति में नामित व्यक्ति उपभोक्ता की मृत्यु की स्थिति के पश्चात किसी भी राशि का दावा नहीं कर सकता है। हालांकि यदि सदस्य द्वार आंशिक विकलांगता के लिए ₹37,500 का दावा किया जाता है, तो नामित व्यक्ति उपभोक्ता की प्राकृतिक मृत्यु के पश्चात ₹30,000 की मूल राशि का दावा कर सकता है।

दुर्घटना के कारण होने वाली विकलांगता की स्थिति में बीमा राशि क्या है?

दुर्घटना के कारण विकलांगता की स्थिति में बीमा राशि निम्नलिखित हैः

1. दुर्घटना के कारण स्थायी रूप से पूर्ण विकलांगता की स्थिती में – ₹75,000
2. किसी दुर्घटना में दोनों आँख या दोनों पैरों की क्षति की स्थिती में – ₹75,000
3. किसी दुर्घटना में एक आँख व एक पैर की क्षति की स्थिती में – ₹75,000
4. किसी दुर्घटना में एक आँख या एक पैर की क्षति की स्थिती में – ₹37,500

प्रवासी कार्य मंत्रालय

भारत सरकार
अकबर भवन चान्क्या पुरी नई दिल्ली–110 021, भारत